न्यायालयः— अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, के. पाटन, जिला बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— **डॉ. ऋचा चायल, आर.जे.एस.**
सी.आई.एस. नंबर :— **Cri.Reg.Case/516/2025**
सी एन आर नंबर :— **RJBD080014712025**

निर्णय दिनांकः—24.04.2026

आरक्षी केन्द्र के.पाटन, जिला बून्दी के मुकदमा संख्या 319/2025 अन्तर्गत धारा 3/21 आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 से उदभुत प्रकरण।

परिवादी	राजस्थान राज्य जरिए सहायक अभियोजन अधिकारी
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री राजकुमार डागर सहा. अभि. अधि.
अभियुक्त/अभियुक्तगण	**इरफान मोहम्मद** पुत्र अल्लाह दीता, निवासी गाखड़ी, तहसील खारिया, पुलिस थाना ललामुसा सिटी, जिला गुजराज पंजाब (पाकिस्तान)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री खुशी मोहम्मद पठान, अधिवक्ता

अपराध की तिथि	25.09.2025
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	18.10.2025
आरोप पत्र की तिथि	17.12.2025
आरोप विरचित किए जाने की तिथि	03.01.2026
साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि	15.01.2026
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तिथि	24.04.2026
निर्णय की तिथि	24.04.2026
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तिथि	24.04.2026

अभियुक्त का विवरण :—

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा किये जाने की तिथि	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दण्डादेश	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1.	इरफान मोहम्मद	18.10.2025	निरंतर	धारा 3/21 आव्रजन और	दण्डादेश	धारा 3/21 आव्रजन और	—

				विदेशी अधिनियम, 2025		विदेशी अधिनियम, 2025 में 05 वर्ष के कठोर कारावास तथा 20,000/—रूपए अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त 03 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया	

अभियोजन साक्ष्य की सूची :—

(क) अभियोजन साक्षी :—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा.—1	हरिशंकर	मौके की कार्यवाही करने वाला साक्षी
अ.सा.—2	अमित सिंह	फर्द गिरफ्तारी, नक्शा मौका साक्षी
अ.सा.—3	परसराम	ताईदी साक्षी
अ.सा.—4	जितेन्द्र सिंह	ताईदी साक्षी
अ.सा.—5	गजराज सिंह	गिरफ्तारी एवं तस्दीक घटनास्थल साक्षी
अ.सा.—6	गौतम सिंह	फर्द तस्दीक मौका साक्षी
अ.सा.—7	रामभजन	मालखाना साक्षी
अ.सा.—8	रघुराज सिंह	नक्शा मौका साक्षी
अ.सा.—9	हंसराज	अनुसंधानकर्ता

(ख) प्रतिरक्षा साक्षी :—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
बचाव साक्षी —	—	

(ग) न्यायालय साक्षी :—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति

न्यायालय साक्षी—	—	

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

(क) अभियोजन :—

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्र.पी.—1	फर्द जब्ती व जामा तलाशी
2.	प्र.पी.—2	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त
3.	प्र.पी.—3	नक्शा मौका घटनास्थल
4.	प्र.पी.—4	तस्दीक नक्शा मौका
5.	प्र.पी.—5ए	मालखाना रजिस्टर की प्रति
6.	प्र.पी—6	कायमी प्रकरण हेतु रपट रोजआम प्रविष्टि
7.	प्र.पी—7	चाक एफआईआर
8.	प्र.पी—8	फर्द सूचना धारा 23(2) भा.सा. अधिनियम
9.	प्र.पी—9	—
10.	प्र.पी—10	फर्द सूचना धारा 23(2) भा.सा. अधिनियम
11.	प्र.पी—11	फर्द सूचना धारा 23(2) भा.सा. अधिनियम
12.	प्र.पी—12	धारा 63(4)(सी) का प्रमाण पत्र
13.	प्र.पी—13	सामान्य दैनिकी विवरण
14.	प्र.पी—14 लगायत पी—20	रोजनामचा रपट
15.	प्र.पी—21 लगायत पी—27	—
16.	प्र.पी—28	पासपोर्ट की फोटो प्रति

नोटः— प्रदर्श पी—9 तथा प्रदर्श पी—21 लगायत पी—27 तक कोई दस्तावेज प्रदर्शित नहीं करवाया गया है।

(ख) प्रतिरक्षा :—

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	—	—

(ग) न्यायालय प्रदर्श :—

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	—	—

(घ) आवश्यक वस्तुयें :—

क्रम संख्या	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
1.	—	—

—:: निर्णय ::—

1. प्रकरण के मूलतः तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 25.09.2025 को समय 12.44 पी.एम. पर पुलिस थाना के.पाटन पर रेल्वे स्टेशन मास्टर के. पाटन ने सूचना दी कि एक व्यक्ति रेल्वे स्टेशन के.पाटन पर मजरूबी हालत (घायल अवस्था) में आया है। उक्त सूचना पर हरिशंकर शर्मा स.उ. नि. मय जाता परसराम हैड कानि. 517, जितेन्द्र कानि. 1038 मय सरकारी वाहन के रेल्वे स्टेशन मास्टर के कार्यालय के सामने पहुंचे, जहां उक्त व्यक्ति मजरूबी हालात (घायल अवस्था) में था। रेल्वे स्टेशन मास्टर राहुल सिंह चौहान ने बताया कि उक्त संदिग्ध व्यक्ति अपना नाम इरफान मोहम्मद पुत्र अल्लाह जीता, उम्र 35 साल, निवासी गाखडी, तहसील खारिया, जिला गुजरात सिटी, लालमूसा पाकिस्तान बता रहा है, जो मजरूबी हालत में अरनेठा की तरफ से रेल्वे ट्रेक से रेल्वे स्टेशन के.पाटन पर आया है, जिसके पास भारतीय मुद्रा व विदेशी मुद्रा है व रेल्वे के यात्रा टिकट है जो संदिग्ध प्रतीत होता है। उक्त संदिग्ध से नाम पता पूछा तो अपना नाम कथित इरफान मोहम्मद पुत्र अल्लाह जीता, उम्र 35 साल, निवासी गाखडी, तहसील खारिया, जिला गुजरात सिटी, थाना ललामूसा पाकिस्तान बताया व स्वयं को पाकिस्तान का नागरिक होना बत्ताया, जिससे नागरिकता बाबत् पहचान पत्र व दस्तावेज चाहा तो अपने पास कोई पहचान पत्र व दस्तावेज नहीं होना बताया। उक्त व्यक्ति जीन्स का पेन्ट व टीशर्ट पहने था व उसके पास एक काले रंग का बैग था। उक्त व्यक्ति संदिग्ध होने से उक्त व्यक्ति की जामा तलाशी की कार्यवाही करना आवश्यक होने से जामा तलाशी की कार्यवाही हेतु आस पास स्वतंत्र गवाहान तलाश किये, परन्तु कानूनी पेचीदगियों के कारण कोई व्यक्ति स्वतंत्र गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ। ऐसी सूरत में हमराह जाप्ता में से परशराम हैड कानि. 517 व जितेन्द्र कानि. 1038 से गवाह बनने की मौखिक स्वीकृति प्राप्त कर गवाह मामूर कर संदिग्ध के समक्ष हरिशंकर शर्मा एएसआई ने गवाहान को अपनी तलाशी दी तथा गवाहान की तलाशी हरिशंकर शर्मा एएसआई द्वारा ली गई, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, जिसके बाद संदिग्ध इरफान के कपड़ो की तलाशी ली तो, पेन्ट की दांयी जेब से भारतीय मुद्रा के 500—500 रुपये के 93 नोट कुल 46,500/रूपये मिले। पेन्ट की बांई जेब से विदेशी मुद्रा यूरो करेन्सी के 100—100/—रूपये के 5 नोट, 50—50/—रूपये के 18 नोट, 20—20/—रूपये के 25 नोट व एक 20 रूपये का सिक्का कुल 1920 यूरो करेन्शी, एक खाली लिफाफा जिस पर लाल पैन सं Rana 3279599123 लिखा है व एक TRABK TRAVEL REPRESENTATION PVT LTD का एक कट्टा फटा नीले बाल पेन से क्रॉस किया प्रपत्र मिला,

तथा भारतीय रेल्वे यात्रा के 6 टिकट व एक यात्रा जुर्माना रसीद की कार्बन प्रति Ncell सिमकार्ड का कवर जिस पर मो. नं. 9809005000 सिम नं. 899770224287645 0832 लिखे है मिले। संदिग्ध के बैग को चेक किया तो बैग में पहनने के कपडे व एक मोबाईल का चार्जर मिला है। उक्त संदिग्ध व्यक्ति से उक्त भारतीय मुद्रा व विदेशी मुद्रा लाने बाबत पूछा तो कोई जवाब नहीं दिया। संदिग्ध कथित इरफान के कब्जे से भारतीय मुद्रा के 500—500 रूपये के 93 नोट कुल 46,500 रूपये मिले। पेन्ट की बांई जेब से विदेशी मुद्रा यूरो करेन्सी के 100—100 के 5 नोट, 50—50 के 18 नोट, 20—20 के 25 नोट व एक 20 रूपये का सिक्का कुल 1920 यूरो करेन्शी तथा एक खाली लिफाफा, एक TRABK TRAVEL REPRESENTATION PVT LTD का एक कट्टा फटा नीले बाल पेन से क्रॉस किया प्रपत्र तथा भारतीय रेल्वे यात्रा के 6 टिकट व एक यात्रा जुर्माना रसीद की कार्बन प्रति, Ncell सिमकार्ड के कबर को जप्त कर एक लिफाफे में रख कर चिट चस्पा कर व संदिग्ध के पास मिले बैग में कपडे चार्जर व पर्स रख कर कब्जे पुलिस लिये गये। उक्त संदिग्ध को रेल्वे स्टेशन के.पाटन से हमराह सीएचसी के.पाटन ले जाकर सिर व बांये हाथ की कोहनी में आई चोटों का मेडीकल मुआयना करवाया गया। वापसी थाना पर थानाधिकारी हंसराज मीणा पु.नि. द्वारा संदिग्ध इरफान मोहम्मद से पूछताछ की गई तथा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा संदिग्ध से पूछताछ की गई। उक्त संदिग्ध व्यक्ति स्वयं को पाकिस्तान का नागरिक होना बता रहा था, परन्तु उसके पास वैध नागरिकता बाबत् कोई पहचान पत्र व दस्तावेज नहीं थे, जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियो में संलिप्त हो सकता है, जिस कारण से विभिन्न एजेंसियों द्वारा पूछताछ करने हेतु पुलिस अधीक्षक, जिला बून्दी को पत्र क्रमांक 5712 दिनांक 25.09.2025 प्रेषित किया गया, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय के पूछताछ हेतु जेआईसी कोटा भिजवाया गया जिस पर जेआईसी कोटा द्वारा 27.09.2025 को संदिग्ध इरफान मोहम्मद से संयुक्त पूछताछ की गई तत्पश्चात् कार्यालय पुलिस से अधीक्षक सीआईडी इन्टेलीजेन्स जोन कोटा द्वारा पत्र क्रमांक जोको /काउन्टर/2025/2128—29 दिनांक 27.09.2025 द्वारा संदिग्ध पाक नागरिक इरफान मोहम्मद से सीआईसी जयपुर अग्रिम पूछताछ करने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला बून्दी को अवगत कराया जिसके उपरान्त एसपी साहब जिला बून्दी के आदेश क्रमांक DSB/Bundi/25/4834—39 दिनांक 30.09.2025 की पालना में दिनांक 01.10.2025 को संदिग्ध इरफान मोहम्मद को अग्रिम पूछताछ हेतु पुलिस थाना सीआईसी झालाना जयपुर पुलिस गार्ड शरीफ अहमद पु.नि. मद सर्विस रिवाल्वर जाप्ता कौशलेन्द्र हैड कानि. 871, सुरजीत कानि. 274

थाना के.पाटन, संजय कानि. 850, रामेश्वर कानि. 1176 रिजर्व पुलिस लाईन बून्दी की निगरानी में भिजवाया गया, जिसके बाद दिनांक 01.10. 2025 से दिनांक 17.10.2025 तक विभिन्न एंजेन्सियों द्वारा संयुक्त रुप से पूछताछ की गई। बाद पूछताछ पुलिस टीम संदिग्ध इरफान मोहम्मद को उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार लेकर वापस आई, इत्यादि।

2. उक्त के आधार पर आरक्षी केन्द्र के.पाटन में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या—319/2025 अंतर्गत धारा 3/21 आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 (आगे अधिनियम, 2025 से विर्निदिष्ट किया जायेगा) दर्ज की गई और बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध अंतर्गत धारा 3/21 आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 का अपराध प्रमाणित पाया जाकर न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र पेश किया गया। आरोप पत्र में उपलब्ध सामग्री से अभियुक्त के विरूद्ध अंतर्गत धारा 3/21 आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 का अपराध प्रथम दृष्टया बनना पाये जाने पर उक्त अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. आरोप पत्र की सुस्पष्ट प्रति अभियुक्त के अधिवक्ता को उपलब्ध करवाई गई। गवाहान के बयान तथा उपलब्ध अन्य सामग्री के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 3/21 आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 का अपराध प्रथम दृष्टया बनना पाये जाने पर आरोप पृथक् से विरचित कर अभियुक्त को सुनाया समझाया गया, तो अभियुक्त ने आरोपित अपराध से इंकार कर अन्वीक्षा चाही, जिस पर साक्ष्य में नियत किया गया।

4. अभियोजन की ओर से कुल 09 साक्षी परीक्षित करवाये गये और प्रदर्श 1 से 28 तक प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये गये। पत्रावली पर अभियोजन की ओर से पेश की गई मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं., 1973 में परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने गवाहान द्वारा किये गये कथन को गलत होना जाहिर किया है तथा यह भी कथन किया गया कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त पक्ष ने साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना जाहिर किया, तत्पश्चात् साक्ष्य सफाई बंद की गई।

5. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिये हैं कि पत्रावली पर संलग्न समस्त साक्ष्य सामग्री से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है। अतः

अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया गया।

6. दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा तर्क दिए गए कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त को डिटेन करने के 23 दिन पश्चात् प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिससे अभियोजन का मामला संदेहप्रद रहा है और ऐसी स्थिति में उक्त 23 दिनों में अभियुक्त को अवैध हिरासत में रखा गया है। प्रकरण में अभियोजन पक्ष के गवाहान द्वारा अभियुक्त से उसके पासपोर्ट की फोटो प्रति प्राप्त होना दर्शाया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरूद्ध बिना पासपोर्ट के भारत में प्रवेश करने का अपराध साबित नहीं हुआ है। अभियोजन पक्ष के समस्त गवाहान के बयानों में अत्यंत विरोधाभास रहा है। प्रकरण में कोई स्वतंत्र गवाह पेश नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर आरोपित अपराध को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

7. सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अभियुक्त पर आरोपित अपराध के संबंध में पत्रावली पर आई साक्ष्य के आधार पर न्यायालय को निम्न विचारणीय बिन्दु के संबंध में विवेचन करना है—

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 25.09.2025 को समय दोपहर 12:44 बजे या उसके लगभग स्थान रेल्वे स्टेशन के.पाटन, पुलिस थाना के.पाटन, जिला बून्दी में पाकिस्तान का नागरिक होते हुए रेल यात्रा के माध्यम से बिना किसी विधिमान्य पासपोर्ट व वीजा के प्रवेश किया?

2. यदि हां, तो अभियुक्त के लिये उचित दण्ड क्या होगा?

8. प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 09 गवाहान् न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाये गये हैं। गवाह पी.डब्ल्यू—1 मौके की कार्यवाही करने वाला गवाह है, पी.डब्ल्यू—3 परसराम, पी.डब्ल्यू—4 ताईदी साक्षीगण है, पी.डब्ल्यू—2 अमित सिंह फर्द गिरफ्तारी, फर्द नक्शा मौका का गवाह है, पी.डब्ल्यू—5 गजराज सिंह फर्द गिरफ्तारी एवं तस्दीक घटनास्थल का गवाह है, पी.डब्ल्यू—6 गौतम सिंह फर्द तस्दीक मौका का गवाह है, पी.

डब्ल्यू—8 रघुराज सिंह फर्द तस्दीक नक्शा मौका का गवाह है, पी.डब्ल्यू—7 रामभजन मालखाना साक्षी है, पी.डब्ल्यू—9 हंसराज हस्तगत प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है।

9. सर्वप्रथम गवाह पी.डब्ल्यू—1 हरिशंकर के बयानों का अवलोकन किया गया, जिसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किए गए कि वह दिनांक 25.09.2025 को थाना के.पाटन में एएसआई के पद पर कार्यरत था। उस दिन समय 12.44 पी.एम पर रेल्वे स्टेशन मास्टर के.पाटन ने जरिये मोबाईल थाने पर उसे सूचना दी कि एक व्यक्ति रेल्वे स्टेशन के. पाटन पर घायल अवस्था में आया है, कार्यवाही हेतु किसी पुलिस अधिक. ारी को भेजे। उक्त सूचना पर वह मय जाप्ता परसराम हैड कानि., जितेन्द्र कानि. मय सरकारी वाहन से रेल्वे स्टेशन के पाटन पहुंचा। रेल्वे स्टेशन मास्टर के कार्यालय के सामने रेल्वे स्टेशन मास्टर राहुल सिंह चौहान एक व्यक्ति के साथ खडा मिला, उक्त व्यक्ति मजरूबी हालत में था। स्टेशन मा. स्टर राहुल सिंह चौहान ने बताया कि संदिग्ध व्यक्ति अपना नाम इरफान मोहम्मद पुत्र अल्लाह जिता, उम्र 35 साल, निवासी दाखडी तहसील खारिया, जिला गुजरात सिटी लालमुसा पाकिस्तान बता रहा है, जो मजरूबी हालत में अरनेठा की तरफ से रेल्वे ट्रेक से रेल्वे स्टेशन के.पाटन पर आया है, जिसके पास भारतीय मुद्रा व विदेशी मुद्रा व रेल्वे का टिकिट है जो संदिग्ध प्रतीत होता है। जिस पर उसने उक्त संदिग्ध व्यक्ति से नाम पता पूछा तो अपना नाम इरफान मोहम्मद, पुत्र अल्लाह जिता, उम्र 35 साल निवासी दाखडी, तहसील खारिया, जिला गुजरात सिटी लालमुसा पाकिस्तान, का होना बताया व स्वयं को पाकिस्तान का नागरिक होना बताया। अभियुक्त से पहचान पत्र दस्तावेज मांगे तो अभियुक्त ने कोई पह. चान पत्र व दस्तावेज नहीं होना बताया। अभियुक्त जींस की पेंट व टी—शर्ट पहने हुए थे। अभियुक्त के पास एक काले रंग का बैग था। जिसकी जामा तलाशी लिया जाना आवश्यक होने से आस—पास स्वतंत्र गवाह तलाश किए, लेकिन कानूनी पेचीदगी के कारण कोई व्यक्ति गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ। जिस पर उसने जाप्ते में से परसराम हैड कानि. व जितेन्द्र कानि. से गवाह बनने बाबत् मौखिक स्वीकृति प्राप्त कर दोनों को गवाह मामूर कर उसने अपनी तलाशी दोनो गवाहन को दी। दोनों गवाहन की तलाशी उसने ली कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं होने का विश्वास संदिग्ध अभियुक्त को दी लाकर तत्पश्चात संदिग्ध व्यक्ति अभियुक्त इरफान की उसके द्वारा तलाशी ली गई तो। अभियुक्त की पहनी हुई पेंट की दायीं जेब से भारतीय मुद्रा के पांच—पांच सौ रूपये के 93 नोट कुल 46,500 रूपये मिले व पेंट की बांयी जेब से विदेशी मुद्रा यूरों करेंसी के सौ—सौ के पांच नोट, पचास—पचास के 18 नोट,

बीस—बीस के 25 नोट व एक बीस रूपये का सिक्का कुल 1920 यूरो करेंसी मिली व एक खाली लिफाफा जिस पर लाल पैन से राना 3279599123 लिखा हुआ था व एक ट्रे बैग ट्रेवल रिप्रजटेशन प्राइवेट लिमिटेड का एक कटा—फटा नीले बॉल पैन से क्रॉस किया हुआ प्रपत्र मिला। पेंट के पीछे की जेब में एक काले रंग का पर्स मिला जिसमें भारतीय रेल्वे यात्रा के 6 टिकिट व एक यात्रा जुर्माना रसीद की कार्बन प्रति, नेसेल सिम कार्ड का कवर जिस पर मोबाईल नंबर 9809005000 सिम नंबर 8997702242, 876450832 लिखे हुए मिले। संदिग्ध बैग चेक किया तो उसमे पहनने के कपडे व एक मोबाईल का चार्जर मिला। अभियुक्त इरफान से भारतीय मुद्रा व विदेशी मुद्रा लाने बाबत् पूछा तो अभियुक्त ने कोई जवाब नहीं दिया। अभियुक्त इरफान के कब्जे से मिले भारतीय मुद्रा के पांच—पांच सौ रूपये के 93 नोट व विदेशी मुद्रा यूरो करेंसी के सौ—सौ पांच नोट पचास—पचास के, 18 नोट बीस—बीस के 25 नोट व एक बीस रूपये का सिक्का कुल 1920 यूरो करेंसी मिली व एक खाली लिफाफा जिस पर लाल पैन से राना 3279599123 लिखा हुआ था को व एक ट्रेबैग ट्रेवल रिप्रजटेशन प्राइवेट लिमिटेड का एक कटा—फटा नीले बॉल पैन से क्रॉस किया हुआ प्रपत्र को व भारतीय रेल्वे यात्रा के छह टिकिट व एक यात्रा जुर्माना रसीद की कार्बन प्रति, नेसेल सिम कार्ड के कवर को जब्त कर एक लिफाफे में रखकर चिट चस्पा कर कब्जे पु. लिस लिया व अभियुक्त के पास मिले बैग में अभियुक्त के कपडे व चार्जर को, व पर्स को रखकर कब्जे पुलिस लिया। अभियुक्त इरफान के शरीर पर आई चोटों का अवलोकन किया तो एक खून आलून्दा चोट सिर में बाई तरफ व एक चोट खून आलून्दा बांये हाथ में आई हुई थी। अभियुक्त इरफान से चोट आने का कारण पूछा तो अरनेठा की तरफ ट्रेन से रेल्वे ट्रेक पर गिरने के कारण चोट आना बताया। अभियुक्त इरफान के पास पहचान बाबत कोई दस्तावेज नहीं पाया गया, जिस पर अभियुक्त को डिटेन कर मय जब्तसुदा आर्टीकल सीएचसी के.पाटन पहुंचकर अभियुक्त की चोटों का मेडिकल मुआयना करवाया गया व मय इरफान जब्तशुदा आर्टीकल के वापस थाने पर पहुंचकर जब्तशुदा आर्टीकल व अभियुक्त को थानाधिकारी के समक्ष पेश कर संपूर्ण हालात से अवगत करवाकर तथा उसके द्वारा अभियुक्त के मिलने की सूचना सिटी कन्ट्रोल बून्दी को दी गई तथा बिना वीजा के अभियुक्त का भारत में प्रवेश करने के संबंध में जांच कार्य करने के लिए निवेदन किया गया। फर्द जब्ती व जामा तलाशी प्रदर्श पी—1 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी अभियुक्त इरफान के हस्ताक्षर है।

10. जिरह में गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि रेल्वे में किसी भी कर्मचारी को उसके द्वारा गवाह नहीं बनाया गया, क्योंकि कोई गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ। मौके पर उसने अपना पता पाकिस्तान का बताया था। वक्त घटना जब्ती बनाते वक्त अभियुक्त से ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिला या पहचान का कागज नहीं मिला, जिससे पहचान हो सके। गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि दिनांक 25.09.2025 को प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं कराई गई थी। गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि जब्ती बनाने के पश्चात् उसने अलग से कोई प्रकरण दर्ज नहीं करवाया।

11. मौके के गवाहान पी.डब्ल्यू—3 परसराम व पी.डब्ल्यू—4 जितेन्द्र सिंह दोनों ही अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करते है कि वे दिनांक 25.09.2025 को थाना के.पाटन में क्रमशः हैड कानि. व कानि. के पद पर कार्यरत थे। उस दिन समय 12.44 पी.एम. पर रेल्वे स्टेशन मास्टर के.पाटन ने जरिये मोबाईल थाने पर हरिशंकर एएसआई को सूचना दी कि एक व्यक्ति रेल्वे स्टेशन के.पाटन पर घायल अवस्था में आया है, कार्यवाही हेतु किसी पु. लिस अधिकारी को भेजे। उक्त सूचना पर हरिशंकर एएसआई के साथ मय जाप्ता वे दोनों मय सरकारी वाहन से रेल्वे स्टेशन के.पाटन पहुंचे। रेल्वे स्टेशन मास्टर के कार्यालय के सामने रेल्वे स्टेशन मास्टर राहुल सिंह चौ. हान एक व्यक्ति के साथ खड़ा मिला, उक्त व्यक्ति मजरूबी हालत में था। स्टेशन मास्टर राहुल सिंह चौहान ने बताया कि उक्त संदिग्ध व्यक्ति अपना नाम इरफान मोहम्मद पुत्र अल्लाह जिता, उम्र 35 साल, निवासी दाखडी तहसील खारिया, जिला गुजरात सिटी लालमुसा पाकिस्तान बता रहा है, जो मजरूबी हालत में अरनेठा की तरफ से रेल्वे ट्रेक से रेल्वे स्टेशन के. पाटन पर आया है जिसके पास भारतीय मुद्रा व विदेशी मुद्रा व रेल्वे का टिकिट है जो संदिग्ध प्रतीत होता है, जिस पर एएसआई ने अभियुक्त से नाम पता पूछा तो अपना नाम इरफान मोहम्मद पुत्र अल्लाह जिता, उम्र 35 साल, निवासी दाखडी तहसील खारिया, जिला गुजरात सिटी लालमुसा पाकिस्तान, का होना बताया व स्वयं को पाकिस्तान का नागरिक होना बताया। जिससें पहचान पत्र दस्तावेज मांगे तो अभियुक्त ने कोई पहचान पत्र व दस्तावेज नहीं होना बताया। अभियुक्त की जींस की पेंट व टी—शर्ट पहने हुआ था जिसके पास एक काले रंग का बैग था। जिसकी जमा तलाशी लिया जाना आवश्यक होने से आस पास स्वतंत्र गवाह तलाश किए लेकिन कानूनी पेचीदगी के कारण कोई व्यक्ति गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ जिस पर एएसआई ने जाप्ते में से उनसे गवाह बनने बाबत् मौखिक स्वीकृति प्राप्त कर दोनों को गवाह मामूर कर एएसआई ने अपनी तलाशी दोनों गवाहन को दी। दोनो गवाहान की तलाशी एएसआई ने ली

कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं होने का विश्वास संदिग्ध व्यक्ति इरफान को दी लाकर तत्पश्चात संदिग्ध व्यक्ति इरफान की एएसआई द्वारा तलाशी ली गई तो अभियुक्त की पहनी हुई पेंट की दायीं जेब से भारतीय मुद्रा के पांच—पांच सौ रूपये के 93 नोट कुल 46,500 रूपये मिले व पेंट की बायी जेब से विदेशी मुद्रा यूरों करेंसी के सौ—सौ के पांच नोट, पचास—पचास के 18 नोट, बीस—बीस के 25 नोट व एक बीस रूपये का सिक्का कुल 1920 यूरो करेंसी मिली व एक खाली लिफाफा जिस पर लाल पैन से राना 3279599123 लिखा हुआ था व एक ट्रेबैग ट्रेवल रिप्रजटेशन प्राइवेट लिमिटेड का एक कटा—फटा नीले बॉल पैन से क्रॉस किया हुआ प्रपत्र मिला। पेंट के पीछे की जेब में एक काले रंग का पर्स मिला जिसमें भारतीय रेल्वे यात्रा के 6 टिकिट व एक यात्रा जुर्माना रसीद की कार्बन प्रति, नेसेल सिम कार्ड का कवर जिस पर मोबाईल नंबर 9809005000 सिम नंबर 8997702242, 876450832 लिखे हुए मिले। संदिग्ध बैग चेक किया तो उसमे पहनने के कपडे व एक मोबाईल का चार्जर मिला। अभियुक्त इरफान से एएसआई ने भारतीय मुद्रा व विदेशी मुद्रा लाने बाबत् पूछा तो कोई जवाब नहीं दिया। अभियुक्त इरफान के कब्जे से मिले भारतीय मुद्रा के पांच—पांच सौ रूपये के 93 नोट व विदेशी मुद्रा यूरो करेंसी के सौ—सौ के पांच नोट, पचास—पचास के 18 नोट, बीस—बीस के 25 नोट व एक बीस रूपये का सिक्का कुल 1920 यूरो करेंसी मिली व खाली लिफाफा जिस पर लाल पैन से राना 3279599123 लिखा हुआ था को व एक ट्रेबैग ट्रेवल रिप्रजटेशन प्राइवेट लिमिटेड का एक कटा—फटा नीले बॉल पैन से क्रॉस किया हुआ प्रपत्र को व भारतीय रेल्वे यात्रा के 6 टिकिट व एक यात्रा जुर्माना रसीद की कार्बन प्रति नेसेल सिम कार्ड के कवर को एएसआई ने जब्त कर एक लिफाफे में रखकर चिट चस्पा कर कब्जे पुलिस लिया व संदिग्ध के पास मिले बैग में उसके कपडे व चार्जर को, पर्स को रखकर कब्जे पुलिस लिया। अभियुक्त के शरीर पर आई चोटों का अवलोकन किया तो एक खून आलून्दा चोट सिर में बाई तरफ व एक चोट खून आलून्दा बाये हाथ में आई हुई थी। अभियुक्त से चोट आने का कारण एएसआई ने पूछा तो अभियुक्त ने अरनेठा की तरफ ट्रेन से रेल्वे ट्रेक पर गिरने के कारण चोट आना बताया। अभियुक्त के पास पहचान बाबत कोई दस्तावेज नहीं पाया गया जिस पर अभियुक्त को एएसआई ने डिटेन कर मय जब्तसुदा आर्टीकल सीएचसी के.पाटन पहुंचकर अभियुक्त की चोटों का मेडिकल मुआयना करवाया गया व मय अभियुक्त के जब्तशुदा आर्टीकल के वापस थाने पर पहुंचकर जब्तसुदा आर्टीकल व अभियुक्त को थानाधिकारी के समक्ष पेश कर संपूर्ण हालत से अवगत कराकर तथा एएसआई हरिशंकर द्वारा संदिग्ध अभियुक्त के मिलने की सूचना सिटी कन्ट्रोल बून्दी को दी गई तथा बिना वीजा के अभियुक्त

का भारत में प्रवेश करने के संबंध में जांच कार्य करने के लिए एएसआई ने निवेदन किया। फर्द जब्ती व जामा तलाशी प्र० पी 1 है जिस पर उनके हस्ताक्षर व सी से डी अभियुक्त के हस्ताक्षर है।

12. जिरह में गवाह पी.डब्ल्यू—3 परसराम कथन करता है कि उसने, हरिशंकर, जितेन्द्र ने तलाशी ली तो अभियुक्त के पास पहचान का कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ था। जब अभियुक्त को डिटेन किया, तब अभियुक्त के सिर पर चोटें थी। मौके पर अभियुक्त का पासपोर्ट व मोबाइल नहीं मिला। अभियुक्त ने ट्रेन से गिरना बताया था।

13. जिरह में गवाह पी.डब्ल्यू—4 जितेन्द्र सिंह कथन करता है कि अभियुक्त की तलाशी हरिशंकर एएसआई ने ली थी। तलाशी में अभियुक्त के पास इंडियन करेन्सी, यूरो करेन्सी मिली थी। अभियुक्त की पहचान के दस्तावेज नहीं मिले थे। गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि स्वतंत्र गवाह बुलाने कोई नहीं गया। स्वतंत्र गवाह आस—पास ही तलाश किए थे।

14. गवाह पी.डब्ल्यू—2 अमित सिंह, अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 18.10.2025 को थाना के.पाटन में कानि. के पद पर कार्यरत था। उस दिन थानाधिकारी हंसराज मीणा ने प्रकरण संख्या 319/2025 में अभियुक्त को उसके सामने गिरफ्तार किया था। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी—2 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उक्त प्रकरण में दिनांक 19.10.2025 को थानाधिकारी हंसराज ने जैर हिरासत अभियुक्त की निशानदेही से घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी—3 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

15. जिरह में गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि जब अभियुक्त की फर्द गिरफ्तारी बनाई गई, तब अभियुक्त से कपड़ों के अलावा कोई सामान प्राप्त नहीं हुआ। जब अभियुक्त की गिरफ्तारी बनाई तब अभियुक्त के पास पासपोर्ट वगैरह कुछ नहीं मिला।

16. गवाह पी.डब्ल्यू—8 रघुराज सिंह, अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 19.10.2025 को थाना के.पाटन में कानि. के पद पर कार्यरत था। उस दिन थानाधिकारी हंसराज मीणा ने प्रकरण संख्या 319/2025 में अभियुक्त की निशानदेही से घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श पी—3 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

17. जिरह में गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि प्रदर्श पी—3 पर रेल्वे के किसी भी कर्मचारी के हस्ताक्षर नहीं करवाये। गवाह इस कथन को गलत होना बताता है कि नक्शा मौका बनाते समय रेल्वे के कर्मचारी मौके पर हो। रेल्वे स्टेशन से आधा किलोमीटर दूरी का नक्शा मौका बनाया था। नक्शा मौका प्रकरण दर्ज होने के बाद बनाया था।

18. गवाह पी.डब्ल्यू—5 गजराज सिंह, अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 24.10.2025 को थाना के.पाटन में हैड कानि. के पद पर कार्यरत था। उस दिन हंसराज थानाधिकारी ने प्रकरण संख्या 319/2025 में अभियुक्त को गिरफ्तार कर अभियुक्त की निशानदेही से घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी—4 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

19. उक्त गवाह से अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा कोई जिरह नहीं की गई है।

20. गवाह पी.डब्ल्यू—6 गौतम सिंह, अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 24.10.2025 को थाना के.पाटन में चालक के पद पर कार्यरत था। उस दिन वह थानाधिकारी हंसराज पुलिस निरीक्षक के साथ मय जाप्ता गजराज सिंह हैड कानि. व उसके सामने घटनास्थल का तस्दीक नक्शा मौका अभियुक्त इरफान की निशानदेही से बनाया था। फर्द तस्दीक नक्शा मौका प्रदर्श पी—4 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

21. उक्त गवाह से अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा कोई जिरह नहीं की गई है।

22. गवाह पी.डब्ल्यू—7 रामभजन, अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 25.09.2025 को थाना के.पाटन पर हैड कानि. के पद पर कार्यरत था व मालखाना इंचार्ज था। उस दिन हरिशंकर एएसआई ने आप अभियुक्त से जब्तशुदा माल एक लिफाफा सील बंद मार्क ए जिसमे 46,500/—रूपए भारतीय मुद्रा व विदेशी मुद्रा 1920 यूरो करेंसी व रेल्वे की टिकिट की कार्बन प्रति एक खाली लिफाफा व एक कटा फटा प्रपत्र था। एक काले रंग का बैग शील्डशुदा मार्क बी जिसमे पहनने के कपडे व एक मोबाइल चार्जर की लिड थी, को जमा मालखाना करने हेतु उसे दिया था। जिसको उसने असल मालखाना रजिस्टर के क्रम संख्या 195/2025

दिनांक 25.09.2025 को इन्द्राज कर जमा मालखाना किया था। असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी—5 है, जिसकी प्रति प्रदर्श पी—5ए है।

23. जिरह में गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि दिनांक 25. 09.2025 को बिना प्रकरण दर्ज किए ही माल उसे जमा मालखाना करने हेतु दिया था।

24. गवाह पी.डब्ल्यू—9 हंसराज अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 25.09.2025 को थाना के.पाटन में थानाधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन रेल्वे स्टेशन मास्टर के.पाटन ने जरिये दूरभाष थाने पर सूचना दी कि रेल्वे स्टेशन के.पाटन पर मजरूबी अवस्था में एक व्यक्ति आया है, कार्यवाही हेतु आये। उक्त सूचना पर हरिशंकर एएसआई मय जाप्ता परसराम हेड कानि. के रेल्वे स्टेशन के.पाटन पहुंचा, जहां रेल्वे स्टेशन मास्टर के कार्यालय के सामने एक व्यक्ति घायल अवस्था में मिला। रेल्वे स्टेशन मास्टर राहुल सिंह ने एएसआई को बताया कि आप अभियुक्त अपना नाम इरफान मोहम्मद बता रहे है। अभियुक्त के पास भारतीय मुद्रा व विदेशी मुद्रा है। रेल्वे यात्रा के टिकट है। एएसआई ने अभियुक्त से नाम पता पूछा तो अपना नाम इरफान मोहम्मद बताया व स्वयं को पाकिस्तान का नागरिक होना बताया। एएसआई ने अभियुक्त से नागरिकता बाबत् पहचान पत्र व दस्तावेज मांगे तो आपने कोई दस्तोवज नहीं होना बताया। अभियुक्त के पास काले रंग का बैग था, जिसकी एएसआई ने तलाशी ली तो अभियुक्त के पास भारतीय मुद्रा व विदेशी मुद्रा यूरो करेंसी मिली। रेल्वे यात्रा के टिकिट व जुर्माना रसीद भी मिली। एएसआई ने अभियुक्त से भारतीय मुद्रा व विदेशी मुद्रा लाने बाबत् पूछा तो अभियुक्त ने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। जिस पर एएसआई ने अभियुक्त के पास मिली भारतीय मुद्रा व विदेशी मुद्रा, रेल्वे टिकिट व अन्य सामग्री को जब्त कर अभियुक्त को सीएचसी के.पाटन लाकर मेडिकल करवाकर तथा अभियुक्त के पास मिले जब्तशुदा भारतीय मुद्रा, विदेशी मुद्रा व अन्य सामग्री को उसके समक्ष लाकर पेश किया, जिस पर उसके द्वारा अभियुक्त से पूछताछ की तो अभियुक्त ने स्वयं को पाकिस्तान का नागरिक होना बताया तथा अभियुक्त के पास यात्रा संबंधी कोई दस्. तावेज नहीं होना बताया। अभियुक्त पाकिस्तान के नागरिक थे, जिससे अभियुक्त से गहनता से पूछताछ किया जाना आवश्यक था, जिस पर उसके द्वारा अभियुक्त की सूचना पुलिस अधीक्षक बून्दी को दी गई, जिस पर एसपी बून्दी ने एसपी इंटेलिजेंस कोटा को आप अभियुक्त से पूछताछ हेतु पत्र लिखा, जिस पर अभियुक्त से पूछताछ हेतु कोटा की जोईन्ट इना. गेशन सेंटर कोटा में पूछताछ की व अभियुक्त को पूछताछ हेतु सीआईसी

जयपुर की टीम पूछताछ हेतु जयपुर लेकर गई। जिसके साथ जाप्ते में थाना के.पाटन था। बाद पूछताछ सीआईसी सेन्ट्रल इनोगेशन सेन्ट्रल जयपुर की टीम अभियुक्त को पूछताछ के बाद थाना के.पाटन को अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया, जिस पर उसके द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध मुक. दमा नंबर 319/2025 धारा 3/21 आव्रजन विदेशी अधिनियम, 2025 व 3/12 पासपोर्ट अधिनियम, 1966 में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। कायमी रपट प्रदर्श पी—6 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी—7 है, जिस पर ए से बी उसके डिजिटल हस्ताक्षर है। प्रकरण संख्या 319/2025 दिनांक 18.10.2025 को उसके द्वार दर्ज किया गया था। दौराने अनुसंधान गवाहान हरिशंकर एएसआई, परसराम हेड कानि., जितेन्द्र सिंह कानि. के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किए गए। दिनांक 18.10.2025 को अभियुक्त को जरिये फर्द प्रदर्श पी—10 उसके द्वारा गिरफ्तार किया गया। जैर हिरासत अभियुक्त ने दिनांक 19.10.2025 को उसे स्वेच्छापूर्वक सूचना दी कि दिनांक 25.09.2025 को चलती ट्रेन से जिस स्थान पर गिरा था उसे चलकर बता सकता हूं। सूचना प्रदर्श पी—8 है जिस पर ए से बी उसके व सी से डी अभियुक्त के हस्ताक्षर है। उक्त सूचना पर अभियुक्त की निशादेही से घटनास्थल तस्दीक मौका बनाया जो प्रदर्श पी—3 है। दिनांक 22.10.2025 को जैर हिरासत अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक सूचना दी कि बरेली में जिस करेंसी एक्सचेंज दुकान पर विदेशी मुद्रा यूरो से भारतीय मुद्रा एक्सचेंज करवाई थी उस दुकान को चलकर बता सकता है। सूचना प्रदर्श पी—10 है। उसी दिन अभियुक्त ने सूचना दी कि शाहीद पुत्र असलम, निवासी मुरादाबाद के मकान पर रूका था, जिसको चलकर बता सकता हूं। सूचना प्रदर्श पी—11 है। उक्त सूचना पर अभियुक्त को दिनांक 24.10.2025 को मुरादाबाद लेकर पहुंचा, जहां अभियुक्त ने मुरादाबाद रेल्वे स्टेशन से शाहीद द्वारा उसे ले जाना बताया, जिस पर उसने अभियुक्त की निशादेही से रेल्वे स्टेशन का तस्दीक मौका बनाया जो प्रदर्श पी—4 है, जिस पर ई से उसके व जी से एच अभियुक्त के हस्ताक्षर है। अभियुक्त अपनी सूचना से मुखर गए थे। उसने धारा 63(4), 63(सी) पार्ट ए का प्रमाण पत्र शामिल पत्रावली किया, जो प्रदर्श पी—12 है। प्रकरण से संबंधित नकल रपट शामिल पत्रावली की जो प्रदर्श पी—13 लगायत पी—20 है। मालखाना रजिस्टर की सत्यापित प्रति शामिल पत्रावली की। अभियुक्त के पासपोर्ट की फोटो प्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की जो प्रदर्श पी—28 है। अनुसंधान से उसने पाया कि अभियुक्त को किसी विदेशी द्वारा वैध पा. सपोर्ट दस्तावेज के बिना अवैध भारत में प्रवेश किया जो धारा 3/21 आव्रजन विदेशी अधिनियम, 2025 का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर उसके द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया।

25. जिरह में गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि एफआईआर दर्ज करने के 23 दिन पहले उन्होंने अभियुक्त को डिटेन कर लिया था। अभियुक्त से पासपोर्ट बरामद नहीं हुआ था। पासपोर्ट की फोटो प्रति बाद में प्राप्त हुई थी। अभियुक्त के पास बरामद हुए नोट अभियुक्त ने बरेली से लाना बताया था।

26. प्रकरण में अभियोजन कहानी के समर्थन में कार्यवाही करने वाले पु. लिस अधिकारी पी.डब्ल्यू—1 हरिशंकर द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से दिनांक 25.09.2025 को अभियुक्त इरफान मोहम्मद को रेल्वे स्टेशन के.पाटन पर घायल अवस्था में होना पाया और अभियुक्त द्वारा स्वयं को पाकिस्तानी नागरिक होना बताने पर, उस आधार पर उसके पास पासपोर्ट तथा वीजा नहीं मिलने के कारण प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है। हालांकि यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त को दिनांक 25.09.2025 को रेल्वे स्टेशन के.पाटन पर पाया गया था, परन्तु अभियुक्त इरफान मोहम्मद की गिरफ्तारी हस्तगत प्रकरण में दिनांक 18.10.2025, उसके मिलने के लगभग चौबीस दिन पश्चात् की गई है और प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दिनांक 18.10.2025 को ही अभियुक्त के विरूद्ध दर्ज की गई है, जिस बाबत् अभियुक्त अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि प्रकरण में एफआईआर देरी से काटे जाने के कारण अभियोजन का मामला संदिग्ध रहा है।

27. इस संबंध में पुलिस अधिकारी पी.डब्ल्यू—1 हरिशंकर द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा के कथनों में दिनांक 25.09.2025 को अभियुक्त इरफान मो. हम्मद का पाकिस्तानी नागरिक होते हुए बिना पासपोर्ट व वीजा के भारत में प्रवेश करना जाहिर किया है, जिसके खण्डन में गवाह से की गई जिरह में कोई विरोधाभासी कथन मौके की घटना को लेकर नहीं आये हैं और घटना की दिनांक को अभियुक्त इरफान मोहम्मद को डिटेन करने वाले उक्त अधिकारी हरिशंकर के जाप्ते के पुलिस कर्मचारीगण पी. डब्ल्यू—3 परसराम, पी.डब्ल्यू—4 जितेन्द्र सिंह द्वारा भी अपने बयानों में अभियुक्त का दिनांक 25.09.2025 को घायल अवस्था में पाकिस्तानी नागरिक होते हुए बिना पासपोर्ट व वीजा के रेल्वे स्टेशन के.पाटन पर मिलना बताया दर्शाया है। उक्त गवाहान की जिरह में भी कोई विरोधाभास मुख्य परीक्षा के कथनों के संबंध में नहीं आया है।

28. उक्त समस्त गवाहान यह दर्शित करते हैं कि जिस समय रेल्वे स्टेशन के.पाटन पर अभियुक्त घायल अवस्था में मिला था, उसके पास उसका पहचान का कोई कागज नहीं मिला था, परन्तु उक्त गवाहान द्वारा यह दर्शित किया गया है कि अभियुक्त ने स्वयं को पाकिस्तानी नागरिक

होना बताया था, जिस बाबत् भी उक्त गवाहान के बयानों में कोई विरोधाभास नहीं आया है। हालांकि प्रकरण में अभियुक्त को डिटेन किए जाने के लगभग चौबीस दिन पश्चात् प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर उसे हस्तगत प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है। जिस संबंध में न्यायालय के समक्ष जो आरोप पत्र अनुसंधान अधिकारी द्वारा पेश किया गया है उसमे स्पष्ट रूप से दिनांक 25.09.2025 के पश्चात् दिनांक 18.10.2025 तक अभियुक्त का पाकिस्तानी नागरिक होने के कारण विभिन्न एजेंसियों यथा सीआईडी (इंटेलीजेन्स), जोन कोटा, सीआईसी जयपुर आदि द्वारा कार्यवाहियां किया जाना दर्शित करते हुए दिनांक 17.10.2025 को अभियुक्त के विरूद्ध विधि की संबंधित धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया जाना प्रकट आता है।

29. अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू—9 हंसराज न्यायालय के समक्ष परीक्षित होने पर स्पष्ट रूप से इन तथ्यों की ताईद करता है कि दिनांक 25.09.2025 से दिनांक 18.10.2025 तक, अभियुक्त इरफान मोहम्मद के पाकिस्तानी नागरिक होने के कारण विभिन्न एजेंसियों द्वारा पूछताछ, जांच इत्यादि में समय लगने के कारण दिनांक 18.10.2025 को अभियुक्त इरफान मोहम्मद के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त इरफान मो. हम्मद के विरूद्ध दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से हो।

30. गवाहान पी.डब्ल्यू—2 अमित सिंह अभियुक्त इरफान मोहम्मद की गिरफ्तारी तथा पी.डब्ल्यू—2 अमित सिंह व पी.डब्ल्यू—8 रघुराज सिंह घटनास्थल के नक्शे मौके के गवाहान है, जिनकी जिरह में भी उक्त फर्दों के संबंध में कोई विरोधाभास न्यायालय के समक्ष प्रकट नहीं आता है।

31. इसके अतिरिक्त गवाह पी.डब्ल्यू—5 गजराज सिंह तथा पी.डब्ल्यू—6 गौतम सिंह अभियुक्त इरफान मोहम्मद से घटनास्थल का तस्दीक मौका के गवाहान है, जिनकी जिरह में भी उक्त फर्दों के संबंध में उक्त गवाहान से कोई जिरह नहीं किए जाने के कारण कोई विरोधाभास प्रकट नहीं आता है।

32. गवाह पी.डब्ल्यू—7 रामभजन प्रकरण का मालखाना इंचार्ज है, जिसके द्वारा हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त इरफान मोहम्मद से जब्तशुदा माल को मालखाने में जमा किया गया था और उक्त गवाह द्वारा मालखाना रजिस्टर को बतौर प्रदर्श पी—5 प्रदर्शित कराया गया है, जिस बाबत् भी गवाह की जिरह में कोई विरोधाभास नहीं आया है।

33. चूंकि मौके के गवाहान पी.डब्ल्यू—1 हरिशंकर, पी.डब्ल्यू—3 परसराम तथा पी.डब्ल्यू—4 जितेन्द्र सिंह द्वारा स्पष्ट रूप से घटना की दिनांक 25.09.2025 को अभियुक्त इरफान मोहम्मद का पाकिस्तानी नागरिक होते हुए भारत में बिना किसी विधिमान्य पासपोर्ट तथा वीजा के प्रवेश करना प्रकट किया है, जिसका कोई खण्डन उक्त गवाहान की जिरह में नहीं हुआ है और प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू—9 हंसराज अनुसंधान के दौरान अभियुक्त की सूचनाओं के आधार पर तस्दीक मौका इत्यादि बनाये गए हैं और यह भी प्रकट किया है कि दौराने अनुसंधान अभियुक्त के पा. सपोर्ट की फोटो कॉपी शामिल पत्रावली की गई थी और उक्त पासपोर्ट को गवाह द्वारा बतौर प्रदर्श पी—28 न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित करवाया गया है।

34. उक्त गवाह से की गई जिरह में गवाह यह स्वीकार करता है कि अभियुक्त इरफान मोहम्मद से मूल पासपोर्ट की जब्ती नहीं हुई थी, मात्र फोटो प्रति मिली थी। इस संबंध में उक्त प्रदर्श पी—28 हालांकि एक फोटो प्रति दस्तावेज है और जिसे अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त इरफान मोहम्मद के पासपोर्ट की फोटो प्रति होना दर्शाया है, जिसका कोई खण्डन अनुसंधान अधिकारी की जिरह में नहीं हुआ है और ना ही अभियुक्त इरफान मो. हम्मद की ओर से ऐसी कोई प्रतिरक्षा ली गई है कि वह पाकिस्तानी नागरिक न होकर भारतीय नागरिक हो, जबकि उसे इस तथ्य का खण्डन करने का प्राधिकार प्राप्त था कि वह पाकिस्तानी नागरिक न हो, परन्तु न तो अभियुक्त इरफान मोहम्मद ने धारा 313 सीआरपीसी के बयानों में ऐसा कोई खुलासा किया है कि वह पाकिस्तानी नागरिक न हो और न ही ऐसी कोई साक्ष्य प्रतिरक्षा उक्त तथ्य के संबंध में न्यायालय के समक्ष पेश की है।

35. हालांकि प्रकरण में अभियुक्त इरफान मोहम्मद का मूल पासपोर्ट पेश नहीं हुआ है, परन्तु पेश फोटो प्रति दस्तावेज के संबंध में भी अनुसंधान अधिकारी से कोई विशेष जिरह नहीं की है, जिससे उक्त दस्तावेज को अनुचित माना जा सके और चूंकि अभियोजन कहानी के समर्थन में पेश गवाहान अपनी साक्ष्य से यह साबित करते है कि घटना की दिनांक 25.09.2025 को अभियुक्त पाकिस्तानी नागरिक था और उसने बिना वैध पासपोर्ट व वीजा के भारत में प्रवेश किया था और उक्त तथ्य को विशेषतः साबित करने का भार अब अभियुक्त इरफान मोहम्मद की तरफ स्थानांतरित हो जाता है कि वह पाकिस्तानी नागरिक नहीं है अथवा पाकिस्तानी नागरिक होते हुए उसके द्वारा वैध पासपोर्ट व वीजा से भारत में प्रवेश किया गया, जैसा कि साक्ष्य अधिनियम के उपबंधों के तहत उपबंधित

किया गया है और चूंकि अभियुक्त इरफान मोहम्मद की ओर से न तो अपने धारा 313 सीआरपीसी के बयानों में इस तथ्य को प्रमाणित किया है कि वह पाकिस्तानी नागरिक नहीं है अथवा पाकिस्तानी नागरिक होते हुए उसने वैध पासपोर्ट तथा वीजा के तहत ही भारत में प्रवेश किया था और न ही इस तथ्य के प्रमाण हेतु अभियुक्त इरफान मोहम्मद की ओर से कोई साक्ष्य प्रतिरक्षा न्यायालय के समक्ष पेश की गई है।

36. जहां तक अभियुक्त अधिवक्ता का यह तर्क है कि घटना की दिनांक को अभियुक्त के पास वैध पासपोर्ट रहा था, परन्तु चूंकि ऐसे किसी वैध पासपोर्ट की प्रति अभियुक्त की ओर से न्यायालय के समक्ष उक्त तर्कों की पुष्टि हेतु पेश नहीं की गई है। अतः अधिवक्ता अभियुक्त का उक्त तर्क स्वीकार्य नहीं है।

37. जहां तक हस्तगत प्रकरण में स्वतंत्र गवाह नहीं बनाये जाने का अभियुक्त अधिवक्ता का तर्क रहा है कि प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी नहीं बनाये गये हैं तो चूंकि मौके के गवाहान् द्वारा स्पष्ट रूप से अपने बयानों में यह तथ्य प्रकट किया है कि मौके पर कोई आम व्यक्ति स्वतंत्र साक्षी बनने को तैयार नहीं था। इस कारण से स्वतंत्र साक्षी नहीं बनाये गये। दूसरी ओर जबकि पुलिस अधिकारी/कर्मचारी अपनी अटल साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध मामले को साबित करने में सफल रहे है तो केवल स्वतंत्र साक्षी के प्रकरण में गवाह के रूप में पेश नहीं होने से अभियोजन के मामले को दूषित होना नहीं माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष के गवाहान द्वारा स्पष्ट रूप से न्यायालय के समक्ष अभियुक्त पर आरोपित अपराध को संदेह से परे साबित किया है।

38. इस प्रकार पत्रावली पर अभियोजन की ओर से पेश किये गये संपूर्ण साक्ष्य से अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 25.09.2025 को समय दोपहर 12:44 बजे या उसके लगभग स्थान रेल्वे स्टेशन के.पाटन, पुलिस थाना के.पाटन, जिला बून्दी में पाकिस्तान का नागरिक होते हुए रेल यात्रा के माध्यम से बिना किसी विधिमान्य पासपोर्ट व वीजा के प्रवेश किया। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 3/21 आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 में दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

39. परिणामस्वरूप **अभियुक्त इरफान मोहम्मद** पुत्र अल्लाह दीता, निवासी गाखड़ी, तहसील खारिया, पुलिस थाना ललामुसा सिटी, जिला

गुजराज पंजाब (पाकिस्तान) को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 3/21 आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 में दोषसिद्ध किया जाता है।

(डॉ. ऋचा चायल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
के.पाटन, जिला बून्दी

<u>सजा के बिन्दु पर सुना गया</u>

40. दौराने बहस अभियुक्त अधिवक्ता का तर्क है कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धि भी नहीं है। अतः अभियुक्त के विरूद्ध नरमी का रूख अपनाये जाने का निवेदन किया गया। जबकि दौराने बहस अभियोजन अधिकारी का तर्क है कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त पर आरोपित अपराध की प्रकृति गंभीर है। अतः अभियुक्त को आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं दिया जाकर सख्त से सख्त सजा दिये जाने का निवेदन किया गया।

41. सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रकरण में यह दर्शित आया है कि अभियुक्त द्वारा एक पाकिस्तानी नागरिक होते हुए भारत की सीमा में बिना किसी वैध दस्तावेज के प्रवेश किया गया है। अभियुक्त का उक्त कृत्य भारत देश की सुरक्षा पर खतरा है। वर्तमान में दूसरे देश के व्यक्तियों द्वारा भारत देश में आकर आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया है। यदि उक्त प्रकृति के अभियुक्तों के विरूद्ध नरमी का रूख अपनाया जाता है तो देश की संप्रभुता व देश के नागरिकों की सुरक्षा में अवश्य ही व्यवधान होगा। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के उक्त कृत्य के परिणामस्वरूप अभियुक्त के संदर्भ में नरमी का रूख अख्तियार नहीं किया जा सकता है, अपितु भारत देश की शांति, सुरक्षा व भारत देश के नागरिकों के हितों की सुरक्षा हेतु अभियुक्त को कठोरतम दण्ड दिया जाना न्यायालय न्यायोचित पाता है।

<u>दण्डादेश</u>

42. अतः **अभियुक्त इरफान मोहम्मद** पुत्र अल्लाह दीता, निवासी गाखड़ी, तहसील खारिया, पुलिस थाना ललामुसा सिटी, जिला गुजराज पंजाब (पाकिस्तान) को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 3/21 आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 में दोषसिद्ध किया जाकर जाकर **05 वर्ष के कठोर कारावास एवं 20,000/—रूपये जुर्माने** से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी जुर्माना अभियुक्त **03 माह का कठोर कारावास** पृथक से भुगतेगा।

43. अभियुक्त को प्रकरण में अपील होने की स्थिति में अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने बाबत् धारा 481 बीएनएसएस, 2023 के तहत नियमित उपस्थिति बाबत् 10,000/— रूपये राशि का स्वयं का मुचलका पेश करने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त मुचलका आगामी 06 माह तक प्रभावी रहेगा।

44. अभियुक्त द्वारा पुलिस व न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि को धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रावधानों के तहत नियमानुसार मूल सजा में समायोजित किया जावे। अभियुक्त को निर्णय की प्रति निःशुल्क दी जावे।

45. अभियुक्त इरफान मोहम्मद न्यायिक अभिरक्षा में है, जिसको सजा भुगताये जाने हेतु नियमानुसार सजा वारण्ट बनाया जावे।

46. प्रकरण में फर्द जब्ती प्रदर्श पी—1 के अनुसार जब्तशुदा सामग्री का बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारण करने हेतु संबंधित थानाधिकारी को तहरीर जारी हो।

(डॉ. ऋचा चायल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
के.पाटन जिला बून्दी

47. निर्णय व दण्डादेश आज दिनांक **24 अप्रेल, 2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(डॉ. ऋचा चायल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
के.पाटन, जिला बून्दी